

अध्याय 3: एफआरबीएम लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति

यह अध्याय, एफआरबीएम अधिनियम/नियमावली, समय-समय पर यथा संशोधित में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति सीमा का विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राजकोषीय संकेतकों/प्रतिमानों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2011-12 से, प्रवृत्ति विश्लेषण भी इस अध्याय में किया गया है। विश्लेषण हेतु, 8 फरवरी 2016 तथा 31 मई 2016⁸ को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी (आधार वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला) को अपनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी के 2016 के प्रतिवेदन सं. 34 में यही जीडीपी डाटा श्रृंखला अपनाई गई थी तथा इस प्रतिवेदन में भी सुसंगति उद्देश्य के लिए इसको अपनाया गया है।

3.1 राजस्व घाटा

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 2(ई), राजस्व घाटा को राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित करती है जो सरकार की परिसम्पत्तियों में तदनुसूची वृद्धि के बिना केन्द्रीय सरकार की देयताओं में वृद्धि दर्शाता है।

3.1.1 राजस्व घाटा लक्ष्य

अगस्त 2003 में अधिसूचित, एफआरबीएम अधिनियम में 31 मार्च 2008 तक, राजस्व घाटा को समाप्त करना निर्धारित किया गया था। वित्त अधिनियम 2015 (मई 2015) के माध्यम से किए गए एफआरबीएम अधिनियम में नवीनतम संशोधन को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जीडीपी के 0.4 प्रतिशत अथवा अधिक के बराबर राशि तक वार्षिक कटौती के साथ राजस्व घाटे को 31 मार्च 2018 तक

⁸ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) तथा आधार वर्ष 2011-12 सहित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की नई श्रृंखला का प्रयोग करके केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रैस नोट दिनांक 31 मई 2017 के अनुसार 2011-12 से 2015-16 तक जीडीपी आंकड़ों को आगे संशोधित किया गया है। आधार वर्ष 2011-12 सहित आईआईपी तथा डब्ल्यूपीआई की नई श्रृंखला को सीएसओ तथा आर्थिक सलाहकार कार्यालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 12 मई 2017 को जारी किया गया था। इन जीडीपी आंकड़ों को तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

जीडीपी के दो प्रतिशत से अधिक नहीं तक सीमित करने हेतु लक्ष्य को संशोधित किया गया था।

3.1.2 वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्व घाटा

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु, एमटीएफपी विवरणी में राजस्व घाटे के लक्ष्य को जीडीपी का 2.8 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। राजस्व घाटे का परिकलन निम्नानुसार है:

तालिका-3.1: राजस्व घाटा अनुमान तथा वास्तविक 2015-16

संघटक	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्ति	राजस्व घाटा (आरडी)	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में आरडी
	(1)	(2)	(3=1-2)	
(₹ करोड़ में)				
बजट अनुमान	15,36,047	11,41,575	3,94,472	2.8
वास्तविक	15,37,761	11,95,025	3,42,736	2.5
बजट अनुमानों की तुलना में अंतर	1,714 (0.11%)	53,450 (4.68%)	-51,736 (-13.12%)	0.3


स्रोत: बजट-सार

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय के संबंध में बजट अनुमानों तथा वास्तविक के बीच मार्जिनल अंतर था। तथापि, अनुमान से अधिक राजस्व की प्राप्ति के कारण वास्तविक राजस्व घाटे को बजटीय स्तर से नीचे रखा जा सका। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.5 प्रतिशत था जो जीडीपी के 2.8 प्रतिशत के बजट लक्ष्य से कम था।

3.1.3 राजस्व घाटे की प्रवृत्ति

नीचे दिया गया ग्राफ 3.1, 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटे की प्रवृत्ति को दर्शाता है:

ग्राफ-3.1: राजस्व घाटे की प्रवृत्ति: 2011-12 से 2015-16



स्रोत: बीई/लक्ष्य के लिए-एमटीएफपी विवरणी; वास्तविक के लिए बजट-सार

नोट: घाटे हेतु वास्तविक डाटा अनुबंध 3.1 में है।

ग्राफ 3.1 राजस्व घाटे की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है यद्यपि यह 2012-13 तक बजटीय स्तर से अधिक रहा तथा बाद में राजस्व घाटा, 2014-15 के सिवाय, 2013-14 के दौरान अपने बजटीय स्तर से कम था। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व घाटा बजटीय स्तर के भीतर था। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्व घाटे में वार्षिक कटौती 0.4 प्रतिशत थी, जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है।

3.2 राजकोषीय घाटा

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 2(ए) के अनुसार, राजकोषीय घाटा के अर्थ एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में कुल प्राप्तियों के प्रति, (ऋण प्राप्तियों एवं ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर), निधि से कुल संवितरण की अधिकता है।

3.2.1 राजकोषीय घाटा लक्ष्य

एफआरबीएम अधिनियम, जैसा कि अगस्त 2003 में अधिसूचित किया गया, में 31 मार्च 2008 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं प्राप्त करने का लक्ष्य किया गया था। वित्त अधिनियम 2015 (मई 2015) के माध्यम से किए गए एफआरबीएम अधिनियम में नवीनतम संशोधन को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटा जीडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं प्राप्त करने के लक्ष्य को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जीडीपी के 0.4 प्रतिशत अथवा अधिक के बराबर राशि तक वार्षिक कटौती के साथ 31 मार्च 2018 तक आस्थगित कर दिया गया था। तथापि,

बजट 2017-18 में, राजकोषीय घाटे को प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि को बाद में एमटीएफपी विवरणी के माध्यम से 2018-19 तक आस्थगित कर दिया गया था।

3.2.2 वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटा

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु जीडीपी के 3.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा लक्ष्य को एमटीएफपी विवरणी में निर्धारित किया गया था। राजकोषीय घाटे का परिकलन निम्नानुसार है:

तालिका- 3.2: राजकोषीय घाटा - 2015-16 में बजट अनुमान तथा वास्तविक

संघटक	कुल व्यय	गैर-ऋण प्राप्ति	राजकोषीय घाटा (एफडी)	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में एफडी
	(1)	(2)	(3=1-2)	
	(₹ करोड़ में)			
बजट अनुमान	17,77,477	12,21,828	5,55,649	3.9
वास्तविक	17,90,783	12,57,992	5,32,791	3.9
बजट अनुमानों के संदर्भ में अंतर	13,306 (0.75%)	36,164 (2.96%)	-22,858 (-4.11%)	--

स्रोत: बजट-सार

नोट: गैर-ऋण प्राप्ति (राजस्व प्राप्ति+कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली+विविध पूंजीगत प्राप्ति)

2015-16 में, कुल व्यय के संबंध में बजट अनुमानों तथा वास्तविक के बीच अंतर केवल 0.75 प्रतिशत था। तथापि, अनुमान से अधिक गैर-ऋण प्राप्ति की वसूली के कारण, वास्तविक राजकोषीय घाटा बजटीय स्तर से नीचे रहा था। जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार, राजकोषीय घाटा 3.9 प्रतिशत के स्तर पर रहा था।

3.2.3 राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति

नीचे ग्राफ 3.2, 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति दर्शाता है:

ग्राफ 3.2: राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति: 2011-12 से 2015-16



स्रोत: बीई/लक्ष्य के लिए-एमटीएफपी विवरणी; वास्तविक के लिए- बजट-सार (बीएजी)


नोट: घाटा हेतु वास्तविक डाटा अनुबंध 3.1 में है।

राजकोषीय घाटा ने घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया था जो पिछले दो वित्तीय वर्षों 2014-16 के दौरान अपने बजटीय स्तर की ओर अभिमुख था। तथापि, 2015-16 में राजकोषीय घाटे में वार्षिक कटौती एफआरबीएम अधिनियम के तहत अनिवार्य 0.4 प्रतिशत के प्रति केवल 0.2 प्रतिशत थी।

3.3 राजकोषीय घाटा के संघटक के रूप में राजस्व घाटा

संशोधित एफआरबीएम अधिनियम/नियमावली जीडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं राजकोषीय घाटे तथा जीडीपी के दो प्रतिशत तक राजस्व घाटे की अभिकल्पना करता है जिसका अर्थ है कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे का दो-तिहाई होगा। नीचे ग्राफ 3.3, 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि में राजकोषीय घाटे के संघटक के रूप में राजस्व घाटे की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है:

ग्राफ-3.3: एफडी के संघटक के रूप में आरडी की प्रवृत्ति: 2011-12 से 2015-16



स्रोत: बजट-सार

ग्राफ: 3.3 दर्शाता है कि 2011-12 से 2014-15 के दौरान, राजकोषीय घाटे का अधिकांश भाग राजस्व व्यय के कारण था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा,

राजकोषीय घाटे के औसतन 73.0 प्रतिशत से अधिक रहा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्थिति में सुधार हुआ था क्योंकि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे का 64.3 प्रतिशत था जो 66.6 प्रतिशत की सीमा के अंदर था।

3.4 प्रभावी राजस्व घाटा

प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा, को सहायता अनुदान जिनका वर्तमान व्यय तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग किया गया था, को अलग करने के लिए 2011-12 के संघ बजट में प्रारंभ किया गया था। संशोधित एफआरबीएम अधिनियम (मई 2012) की धारा 2(एए) 'प्रभावी राजस्व घाटा', को राजस्व घाटे तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित करती है।

3.4.1 प्रभावी राजस्व घाटा लक्ष्य

मई 2013 में अधिसूचित एफआरबीएम (संशोधित) नियमावली के अनुसार 31 मार्च 2015 तक प्रभावी राजस्व घाटा की समाप्ति का लक्ष्य किया गया। वित्त अधिनियम 2015 (मई 2015) के माध्यम से किए गए एफआरबीएम अधिनियम में नवीनतम संशोधन को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य को 31 मार्च 2018 तक आस्थगित कर दिया गया था। फरवरी 2016 में, प्रभावी राजस्व घाटा की समाप्ति के लक्ष्य को बजट 2016-17 के साथ प्रस्तुत एमटीएफपी विवरणी के माध्यम से 31 मार्च 2019 तक आस्थगित कर दिया गया था। इसके आगे, फरवरी 2017 में बजट 2017-18 के साथ प्रस्तुत एमटीएफपी विवरणी में 31 मार्च 2020 तक प्राप्त किए जाने वाले जीडीपी के 0.2 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ प्रभावी राजस्व घाटा की समाप्ति के लक्ष्य को वित्तीय वर्ष 2019-20 के परे बढ़ा दिया गया था।

3.4.2 वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रभावी राजस्व घाटा

वर्ष 2015-16 (बीई) हेतु, प्रभावी राजस्व घाटा लक्ष्य को वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु 1.8 प्रतिशत के संशोधित अनुमान लक्ष्य में 0.2 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत की वार्षिक कटौती के प्रति) की वृद्धि सहित, जीडीपी के 2.0 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था। जैसा कि पहले ही पैरा 2.1 में चर्चा की गई है, एमटीएफपी विवरणी में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्य में अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य वार्षिक कटौती के साथ विसंगति थी। 2015-16 हेतु संशोधित अनुमान

(फरवरी 2016 में) स्तर पर लक्ष्य को जीडीपी के 1.5 प्रतिशत तक घटाया गया था। प्रभावी राजस्व घाटे का परिकलन निम्नानुसार है:

तालिका - 3.3 : प्रभावी राजस्व घाटा- बजट अनुमान तथा वास्तविक: 2015-16

संघटक	राजस्व घाटा	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी)	जीडीपी की प्रतिशतता
	(1)	(2)	(3=1-2)	के रूप में ईआरडी
(₹ करोड़ में)				
बजट अनुमान	3,94,472	1,10,551	2,83,921	2.0
वास्तविक	3,42,736	1,31,754	2,10,982	1.6
बजट अनुमानों के संदर्भ में अंतर	-51,736 (-13.12%)	21,203 (19.18%)	-72,939 (-25.69%)	0.4

स्रोत: बजट-सार

उपरोक्त तालिका 3.3 दर्शाती है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय में 19 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी जो बजट अनुमानों से प्रभावी राजस्व घाटे में लगभग 26 प्रतिशत कटौती का कारण बनी। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रभावी राजस्व घाटे में पूर्ण रूप में सुधार के परिणामस्वरूप, सरकार जीडीपी के 2.0 प्रतिशत अथवा उससे कम के बजटीय स्तर को बनाए रखने में समर्थ थी।

3.4.2.1 पिछले वर्ष के बजट प्रावधान में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु बजट-सार में, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों से संबंधित प्रावधान को ₹1,10,551 करोड़ अनुमानित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट कार्य के दौरान अनुवर्ती वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के बीई आंकड़े को ₹1,32,472 करोड़ कर दिया था जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रावधान में ₹21,921 करोड़ तक वृद्धि हुई। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्रभावी राजस्व घाटे के बजटीय आंकड़े को भी वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट कार्य के दौरान ₹2,83,921 करोड़ से ₹2,68,000 करोड़ तक संशोधित कर दिया गया था। अनुवर्ती वर्ष में किए गए आशोधन का प्रभाव पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर प्रावधान के ₹21,921 करोड़ तक बढ़ने पर हुआ था, जबकि प्रभावी राजस्व घाटे के अनुमान इतनी ही राशि तक कम होने की बजाय केवल ₹15,921 करोड़ तक कम हुए थे।

किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान जो संसद द्वारा स्वीकृत है तथा अनुवर्ती वर्षों में स्वीकृत आंकड़े को संशोधित कर रहा है, दर्शाता है कि पिछले वर्ष हेतु व्यय के पारदर्शी तथा सही अनुमान तैयार नहीं किये गए थे। चूंकि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय के अनुमानों का घाटा संकेतकों पर प्रभाव है इसलिए इनका बार-बार परिवर्तन करना घाटा संकेतकों के संबंध में कोई राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करने की मुख्य धारणा को विफल करता है।

पैरा 3.4.2 और 3.4.2.1 में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदानों पर व्यय के अनुमानों के संबंध में, मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि बजट विवरणी में उपलब्ध करायी गई सूचना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट/सूचना के आधार पर थी। बजट प्रभाग के पास मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए कोई साधन नहीं है। मंत्रालय ने आगे बताया कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, आरई 2015-16 में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पर व्यय प्रावधान को ₹1,32,004 करोड़ पर संशोधित किया गया था, जो वर्ष के अंत में वास्तविकताओं के करीब था, जिसके परिणामस्वरूप ईआरडी आंकड़ों में भी संशोधन हुआ।


मंत्रालय ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचना की रिपोर्टिंग में त्रुटियों/असंगति को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एफआरबीएम अधिनियम के प्रशासन तथा केंद्रीय बजट की तैयारी करने वाले नोडल मंत्रालय होने के नाते, वित्त मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइन मंत्रालयों से प्राप्त तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत बजट दस्तावेजों में शामिल सूचना पूर्ण, सटीक और सुसंगत है।

3.4.3 प्रभावी राजस्व घाटे की प्रवृत्ति

2011-12 से 2015-16 तक की अवधि में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में प्रभावी राजस्व घाटा की प्रवृत्ति नीचे ग्राफ 3.4 में दी गई है:

ग्राफ-3.4: प्रभावी राजस्व घाटे की प्रवृत्ति 2011-12 से 2015-16



स्रोत: बीई/लक्ष्य हेतु-एमटीएफपी विवरणी; वास्तविक हेतु-बजट-सार

नोट: घाटा हेतु वास्तविक डाटा अनुबंध 3.1 में है।

जैसा ग्राफ 3.4 से देखा गया है कि प्रभावी राजस्व घाटे में घटती हुई प्रवृत्ति के बावजूद सरकार 2011-12 से 2014-15 के दौरान अपने बजटीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ थी। तथापि, जीडीपी के प्रति प्रभावी राजस्व घाटे के अनुपात ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में सुधार दर्शाया तथा यह 2.0 प्रतिशत के बजटीय स्तर के प्रति 1.6 प्रतिशत था।

3.4.4 प्रभावी राजस्व घाटे के अनुमान में असंगति

प्रभावी राजस्व घाटे का सही प्रकार से अनुमान करने के लिए, प्रत्येक मंत्रालय पिछले वर्ष के वास्तविक सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों, जैसा कि संबंधित मंत्रालय की अनुदानों हेतु विस्तृत मांग (डीडीजी) में शामिल है, के अंतर्गत वस्तु शीर्ष 'पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' के अंतर्गत वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित प्रावधान तथा आगामी वर्ष हेतु बजट प्रावधान वाली सूचना तैयार करता है तथा इसे वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। इन सूचना के आधार पर मंत्रालय-वार विवरणी को पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय के प्रावधान को दर्शाने वाले व्यय बजट, खण्ड-। में संलग्न किया जाता है। पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय हेतु एक समेकित प्रावधान बजट-सार (बीएजी) में दिया गया है।

व्यय बजट खण्ड-। में शामिल डाटा के विश्लेषण, संबंधित मंत्रालयों के डीडीजी तथा संबंधित मंत्रालयों के अभिलेखों के साथ उनकी पुनः जाँच ने पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर प्रावधान/व्यय से संबंधित डाटा प्रस्तुत करने तथा मिलान करने में विसंगतियों/असंगति को प्रकट किया जो प्रभावी

राजस्व घाटे के परिकलन पर प्रभाव डालती है। उन मामलों, जहाँ विसंगति पाई गई थी, की नीचे चर्चा की गई है:

3.4.4.1 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के व्यय प्रावधान में परिकलन चूक

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु बीएजी में ₹2,83,921 करोड़ के प्रभावी राजस्व घाटे को ₹3,94,472 करोड़ के राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर ₹1,10,551 करोड़ के प्रावधान कम करने के पश्चात अनुमानित किया गया था। व्यय बजट 2015-16, खण्ड-1 अनुबंध 6 में शामिल सूचना के परिकलन ने प्रकट किया कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर 65 मंत्रालयों/विभागों के संबंध में आंकड़ों के जोड़ को ₹1,10,964 करोड़ परिकलित किया गया है। परिकलन में चूक के कारण, बजट 2015-16 में, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर प्रावधान को ₹413 करोड़ तक कम बताया गया था जिसका परिणाम समान राशि तक प्रभावी राजस्व घाटे के अधिक अनुमान में हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2017) तथा बताया कि बजट प्रभाग में संबंधित अनुभाग को ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए उचित ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

3.4.4.2 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के अनुमान में कमी

वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर प्रावधान के मंत्रालय-वार ब्यौरे दर्शाने वाले व्यय बजट खण्ड-1 के अनुबंध-6 में शामिल सूचना की संवीक्षा तथा संबंधित डीडीजी के साथ उनकी पुनः जांच ने कुछ नमूना जांच किए गए मंत्रालयों/विभागों में दस्तावेजों के दो सेटों में अंतर प्रकट किया। विश्लेषण ने प्रकट किया कि कुछ मामलों में मंत्रालयों/विभागों ने वित्त मंत्रालय को सूचना प्रस्तुत की परंतु वित्त मंत्रालय द्वारा इसे अनुबंध-6 में शामिल नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में संवीक्षा किए गए मामलों का अनुबंध 3.2 में ब्यौरा दिया गया है।

पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय का अनुमान लगाने में कमी के परिणामस्वरूप पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए

बजट-सार में शामिल प्रावधान का ₹18,827 करोड़ तक कम अनुमान किया गया था जिसने प्रभावी राजस्व घाटे के सही अनुमान को भी प्रभावित किया है।

3.4.4.3 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर गलत व्यय

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुबंध-6 में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर किए गए वास्तविक व्यय की सूचना शामिल है। अनुबंध-6 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) मंत्रालय के संबंध में ₹1,223.96 करोड़ की राशि को 2015-16 में वास्तविक व्यय के रूप में दर्शाया गया था। तथापि, डीओएनईआर मंत्रालय में अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदानों पर वास्तविक व्यय ₹1,384.53 करोड़ था। डीओएनईआर मंत्रालय ने मार्च 2017 में उत्तर दिया कि उचित अभिलेखों के अनुरक्षण न होने के कारण, वित्त मंत्रालय को ₹1223.96 करोड़ के गलत आंकड़े सूचित किए गए थे जिसे अनुबंध-6 में शामिल किया गया था। इस विसंगति के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदानों पर वास्तविक व्यय को अनुबंध-6 के साथ-साथ बीएजी में ₹160.57 करोड़ तक कम बताया गया था। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को कम बताने का उस सीमा तक प्रभावी राजस्व घाटे को अधिक बताने का प्रभाव था।


पैरा 3.4.4.2 और 3.4.4.3 में दर्शायी गयी पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान पर अनुमान/व्यय के डाटा के संबंध में, मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि बजट विवरणी में दी गई सूचना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई इनपुट/सूचना पर आधारित थी। बजट प्रभाग के पास मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए कोई साधन नहीं है। मंत्रालय ने आगे बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचना की रिपोर्टिंग में त्रुटियों/असंगति को सुधारने के प्रयास किए जा रहे थे।

अनुशंसा: आंकलन में असंगति के अवसरों से बचने के लिए तथा घाटा संकेतकों पर असर डालने वाले व्यय के संघटकों की सही रिपोर्टिंग के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

3.4.5 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय

प्रभावी राजस्व घाटे का विलोपन संकेत करता है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय राजस्व घाटे के बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजस्व प्राप्तियों के आधिक्य में सरकार के राजस्व व्यय का पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि में राजस्व घाटे की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय की प्रवृत्ति तथा अगले दो वर्षों हेतु प्रक्षेपण नीचे ग्राफ-3.5 में दिए गए हैं:

ग्राफ -3.5: पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय की प्रवृत्ति



स्रोत:- बजट-सार

नोट: दूसरा अक्ष, राजस्व घाटा की प्रतिशतता के रूप में, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को प्रदर्शित करता है।

ग्राफ 3.5 से यह देखा जा सकेगा कि 2011-16 की अवधि के दौरान, राजस्व घाटे की तुलना में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय 32 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के बीच रहा था। प्रभावी राजस्व घाटे के विलोपन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक तक का प्रावधान करने को बढ़ाने हेतु संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। अगले दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2016-18 के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पर व्यय का प्रक्षेपण यद्यपि काफी महत्वकांक्षी है फिर भी इस अनुपात को 61 प्रतिशत के स्तर तक लाने का प्रयास करना है। तथापि, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को

राजस्व घाटे के स्तर पर लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹1.25 लाख करोड़ का अंतर अभी भी मौजूद है।

2017-18 की एमटीएफपी विवरणी में, सरकार ने बताया था कि प्रभावी राजस्व घाटे के विलोपन के लक्ष्य को केन्द्र के राजस्व व्यय संघटक में संरचनात्मक मामलों के कारण प्राप्त नहीं किया जा रहा है। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय को आगे और बढ़ाने हेतु अपने प्रयास में कुछ व्यय, जो इस श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने हेतु योग्य नहीं है, को इसकी सीमा के भीतर लाया जा सकता है। यह 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के रूप में व्यय के वर्गीकरण हेतु परिभाषित मापदण्ड के अभाव तथा मंत्रालयों/विभागों में ऐसे व्यय को मानने में अलग-अलग प्रक्रियाओं के दृष्टांत के कारण हो सकता है। व्यय के कुछ इंगित उदाहरण, जो पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों की श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने योग्य नहीं है, पाए गए हैं तथा इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में चर्चा की गई है।

3.5 सरकार की देयता

सरकार अपने घाटों को वित्तपोषित करने हेतु आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से उधार का सहारा लेती है जिसे सामूहिक रूप से लोक ऋण के रूप में जाना जाता है। आंतरिक उधारों में मुख्य रूप से बाजार ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को जारी विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखे में उपलब्ध संसाधन जिसके संबंध में सरकार एक न्यासी के रूप में कार्य करती है, भी देयताएं हैं जिनको घाटे को वित्त-पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। एफआरबीएम अधिनियम की धारा 2(एफ) के अनुसार कुल देयताओं का तात्पर्य सीएफआई तथा भारत के लोक लेखा के अंतर्गत देयताएं हैं।

3.5.1 देयता लक्ष्य

एफआरबीएम नियमावली का नियम 3(4) अपेक्षा करता है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु जीडीपी के 9 प्रतिशत के आधिक्य में अतिरिक्त देयताओं (वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) का भार नहीं लेगी तथा प्रत्येक अनुवर्ती वर्षों में 9 प्रतिशत की सीमा को जीडीपी की कम से कम एक प्रतिशतता अंक तक प्रगामी रूप से कम किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर सीएजी के प्रथम प्रतिवेदन (2016 का प्रतिवेदन सं. 27) में नियम 3(4) में विसंगति को इंगित किया गया था। इस प्रतिवेदन में, यह उल्लेख किया गया था कि मौजूदा नियमावली के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के पश्चात सरकार द्वारा किसी अतिरिक्त उधारों का सहारा नहीं लिया जाएगा जबकि नियम 3(2) राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं के स्तर तक कम करने का अनुबंध करता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी (दिसम्बर 2016) में आश्वासन दिया कि एफआरबीएम नियमावली के नियम 3(4) की अधिनियम तथा नियमावली के बीच उपयुक्त परिवर्तन/सुयोजन हेतु सरकार द्वारा गठित (मई 2016) एफआरबीएम समीक्षा समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी।

निम्न तालिका 3.4 2011-12 से सरकार की देयता स्थिति को दर्शाती है:

तालिका - 3.4 सरकार की देयता : 2011-12 से 2015-16

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में देयता (1)	वर्ष के अंत में देयता (2)	वर्ष के दौरान अतिरिक्त देयता (3=2-1)	जीडीपी	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में देयता (2/4)	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अतिरिक्त देयता (3/4)
2011-12	35,32,450	41,51,284	6,18,834	87,36,039	47.5	7.1
2012-13	41,51,284	47,06,586	5,55,302	99,51,344	47.3	5.6
2013-14	47,06,586	52,59,310	5,52,724	1,12,72,764	46.7	4.9
2014-15	52,59,310	57,75,685	5,16,375	1,24,88,205	46.2	4.1
2015-16	57,75,685	64,23,032	6,47,347	1,35,76,086	47.3	4.8

स्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखे

नोट: देयता में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण शामिल है।

तालिका 3.4 से यह देखा जा सकता है कि 2015-16 हेतु सरकार की कुल देयता जीडीपी की 47.3 प्रतिशत थी जो कि 2014-15 में 46.2 प्रतिशत थी। तथापि, अतिरिक्त देयताएं 2011-12 में 7.1 प्रतिशत से 2014-15 में 4.1 प्रतिशत तक कम हुईं तथा 2015-16 में फिर से 4.8 प्रतिशत तक बढ़ी।

एफआरबीएम समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार संघ सरकार के संबंध में 40 प्रतिशत के ऋण-जीडीपी अनुपात को 2023 तक प्राप्त किया जाना है।

तथापि, समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा कार्रवाई टिप्पणी प्रतिक्षित थी (जून 2017)।

मंत्रालय ने सूचित किया (जून 2017) कि सरकार द्वारा एफआरबीएम समीक्षा समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही थी तथा समिति की अनुशंसा पर कार्रवाई टिप्पणी यथा समय प्रेषित की जाएगी।

3.5.2 देयता का कम बताया जाना

वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु संघ सरकार के लेखाओं पर 2016 के सीएजी के प्रतिवेदन सं. 34 के पैरा 1.5 में लोक लेखा देयता के कम बताए जाने से संबंधित एक अभ्युक्ति को शामिल किया गया था। ₹7,18,404 करोड़ तक देयता का कम बताया जाना विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ संग्रहण से निवेश (₹5,71,048 करोड़); निजी निधि प्रबंधकों के माध्यम से डाकघर बीमा निधि के निवेश (₹43,139 करोड़); तथा एनएसएसएफ के प्रचालन में संचित घाटा (हानि) (₹1,04,217 करोड़) को शामिल न करने के कारण था।

लोक लेखा में वास्तविक देयता को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में संघ सरकार की कुल देयता ₹71,41,436 करोड़⁹ होगी जो 47.3 प्रतिशत के प्रति जीडीपी की 52.6 प्रतिशत है जैसा तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि संघ सरकार के वित्त लेखाओं में सरकार की देयता को एनएसएसएफ में से किए गए निवेशों, एनएसएसएफ में संचित घाटा, निजी निधि प्रबंधकों के माध्यम से डाकघर बीमा निधि के निवेश का निवल दर्शाया गया था तथा एक फुटनोट द्वारा स्पष्ट किया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि वर्तमान प्रपत्र में देयता के वर्णन को सीएजी के परामर्श पर स्वीकृत किया गया था तथा लेखापरीक्षा ने सहूलियत से अपनी अभ्युक्तियों के लिए अपने आप ही वित्त लेखाओं से दोनों आंकड़े अर्थात् निवल तथा सकल चुन लिए थे।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में भारत सरकार की वास्तविक देयता ₹71,41,436 करोड़ थी। इस राशि में से किए गए निवेशों को लेखाओं में पृथक रूप से दर्शाए जाने की आवश्यकता है। एनएसएसएफ के सृजन से संबंधित केवल लेखांकन प्रक्रिया पर अप्रैल 2000 में जब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा था उस समय सीएजी कार्यालय का परामर्श

⁹ ₹71,41,436 करोड़ = ₹64,23,032 करोड़ + ₹7,18,404 करोड़

लिया गया था। लोक लेखा देयताओं से एनएसएसएफ देयताओं को निवल करना मंत्रालय का निर्णय है जो वित्तीय वर्ष 2004-05 से संघ सरकार के वित्त लेखाओं में लागू किया गया था।

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 2(एफ), कुल देयता को सीएफआई तथा भारत के लोक लेखा के अंतर्गत देयताओं के रूप में परिभाषित करती है। तथापि, एमटीएफपी विवरणी में एनएसएसएफ का भाग तथा कुल बाजार स्थिरता योजना देयताएं शामिल नहीं हैं। इस प्रकार एमटीएफपी विवरणी में दर्शाई गई देयताओं का स्तर अधिनियम में प्रदत्त परिभाषा के अनुरूप नहीं है।


3.5.3 ऋण स्थिरता

केन्द्र सरकार के उधारों पर सीमाओं के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता के साथ संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम का एक उद्देश्य है। ऋण स्थिरता भविष्य में अपने ऋण को पूरा करने की सरकार की समर्थता से संबंधित है। ऋण स्थिरता को आमतौर पर सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर के संबंध में ऋण, प्राथमिक घाटे तथा ब्याज लागत के स्तर के अनुसार मापा जाता है। घटते हुए ऋण/जीडीपी अनुपात को स्थिरता की ओर बढ़ने के संकेत के रूप में माना जा सकता है। राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान के अनुपात का ऋण स्थिरता को मापने हेतु भी उपयोग किया जा सकता है। अनुवर्ती पैराग्राफों में, संघ सरकार की ऋण स्थिरता का निर्धारण महत्वपूर्ण परिवर्तनों में पाई गई प्रवृत्तियों का उपयोग करके किया गया है।

(क) जीडीपी के प्रति बकाया देयता

निम्न ग्राफ 3.6 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि में एमटीएफपी विवरणी में शामिल किए गए अनुमानों की तुलना में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सरकार की बकाया देयता की प्रवृत्ति को दर्शाता है:

ग्राफ - 3.6: बकाया देयता की प्रवृत्ति: 2011-12 से 2015-16



स्रोत: एमटीएफपी विवरणियां तथा संघ सरकार के वित्त लेखे

जैसा ग्राफ 3.6 से देखा गया है कि जीडीपी के अनुसार बकाया देयता ने एमटीएफपी विवरणी में दर्शाए गए बजटीय स्तर को पीछे छोड़ दिया था। यह विश्लेषण पैरा 3.5.2 में उल्लेखित लोक लेखे में देयताओं के कम बताने पर ध्यान न देकर किया गया है परंतु जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जीडीपी के प्रति बकाया देयता का अनुपात 52.6 प्रतिशत होगा।


मंत्रालय ने सूचित किया (जून 2017) कि जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में बकाया देयताओं में अंतर मुख्यतः संबंधित वर्षों के बीई के समय माने गए जीडीपी अनुमानों तथा वर्ष के वास्तविक संख्या में अंतर के कारण था।

मंत्रालय का उत्तर दर्शाता है कि बजट में दर्शाए गए संबंधित वर्ष के जीडीपी के पूर्वानुमानों के आधार मजबूत नहीं हैं क्योंकि प्रक्षेपणों तथा वास्तविक के बीच अंतर बहुत अधिक है।

(ख) ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के साथ अनुपात

ऋण की ब्याज लागत ऋण की स्थिरता को मापने का अन्य संकेतक है। राजस्व प्राप्तियों (आईपी/आरआर) को ब्याज भुगतान के अनुपात ने पिछले दो वर्षों 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान 2013-14 में 32.5 प्रतिशत की चरम सीमा से घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है जैसा ग्राफ 3.7 में दर्शाया गया है।

ग्राफ - 3.7: राजस्व प्राप्ति को ब्याज भुगतान का अनुपात




स्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखे

(ग) औसत ब्याज लागत

औसत ब्याज लागत (एआईसी) को वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान को औसत बकाया देयता¹⁰ के साथ भाग देकर प्राप्त किया जाता है। एक घटती हुई औसतन ब्याज लागत ऋण की स्थिरता हेतु अच्छा संकेत करती है। तथापि, जैसा ग्राफ 3.8 में दर्शाया गया है कि 2011-16 की अवधि से औसतन ब्याज लागत 7.5 से 7.9 प्रतिशत के बीच थी।

ग्राफ - 3.8: औसत ब्याज लागत तथा सांकेतिक जीडीपी वृद्धि



स्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखे तथा सीएसओ द्वारा प्रकाशित जीडीपी डाटा

(घ) बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रोफाइल


2015-16 में ₹64,23,032 करोड़ की कुल बकाया देयताओं में से ₹53,04,835 करोड़ का आंतरिक ऋण शामिल था। आंतरिक ऋण का मुख्य संघटक कुल ₹43,00,102 करोड़ (आंतरिक ऋण का 81.06 प्रतिशत) के बाजार ऋण है जो निर्धारित परिपक्वता अवधि के साथ दिनांकित प्रतिभूतियां हैं। ग्राफ 3.9 के

¹⁰ औसतन बकाया देयता वर्ष के प्रारम्भ तथा अंत में बकाया ऋण का साधारण औसत है।

विश्लेषण ने प्रकट किया कि 2016-17 से प्रारम्भ हो रहे अगले छः वित्तीय वर्षों के मध्यम समय सीमा में विमोचन हेतु देय बाजार ऋण ₹15,99,397 करोड़ (बकाया बाजार ऋण का लगभग 37 प्रतिशत) है।

ग्राफ - 3.9: बाजार ऋण का परिपक्वता प्रोफाईल: 2017-2022

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सीजीए कार्यालय द्वारा प्रकाशित लेखा-सार 2015-16

मंत्रालय ने सूचित किया (जून 2017) कि ग्राफ में अंकित की गई दिनांकित प्रतिभूतियों का परिपक्वता प्रोफाईल वार्षिक स्थिति दस्तावेज तथा संघीय बजट में सूचित की गयी जो जी-प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाईल से तुलनीय नहीं थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि एक वित्तीय वर्ष में कुल ऋण का भुगतान करने की सीमा रखी गई थी जिसका सरकार द्वारा पालन किया जा रहा था।

विमोचन हेतु देय बाजार ऋणों की प्रोफाईल के संबंध में सूचना का स्रोत सीजीए कार्यालय, जो वित्त मंत्रालय के अधीन है, द्वारा तैयार किया गया लेखा-सार है। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पृथक प्रकाशनों में अंतर्निहित डाटा में यदि कोई असंगति हो तो मंत्रालय द्वारा उसका समाधान करना उपयुक्त होगा।

3.6 गारंटियां

केन्द्र सरकार, उन मामलों में, जहाँ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता हेतु स्वायत्त गारंटी एक पूर्व शर्त है, उधारों की लागत को कम करने तथा आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त सामाजिक अथवा आर्थिक लाभों के साथ सरकारी संस्थाओं द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं अथवा गतिविधियों की व्यवहार्यता को सुधारने हेतु गारंटी प्रदान करती है। जबकि गारंटियां पारंपरिक रूप से मापे जाने पर ऋण का भाग नहीं बनती है फिर भी चूक की संभावना में उनके पास सरकार की ऋण स्थिति को बिगाड़ने की क्षमता है।


3.6.1 गारंटियों का लक्ष्य

एफआरबीएम अधिनियम तथा इसके तहत तैयार नियमावली प्रावधान करती है कि केन्द्र सरकार 2004-05 से प्रारम्भ से किसी भी वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत से अधिक कुल राशि की गारंटी प्रदान नहीं करेगी।

3.6.2 गारंटियों में अनुवृद्धि की प्रवृत्ति

निम्न ग्राफ 3.10, 2011-12 से 2015-16 की अवधि से सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जीडीपी की प्रतिशत के रूप में प्रदान की गई गारंटियों में अनुवृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है:

ग्राफ - 3.10: गारंटियों में अनुवृद्धि की प्रवृत्ति 2011-2 से 2015-16



स्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखे

नोट: दूसरा अक्ष जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गारंटियों में अनुवृद्धि को प्रदर्शित करता है।

उपर्युक्त ग्राफ दर्शाता है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 को छोड़कर, वित्तीय वर्ष में गारंटी में अनुवृद्धि जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के भीतर रही।

मंत्रालय ने बताया (जून 2017) कि सरकार ने सुनिश्चित किया था कि वर्ष 2011-12 के दौरान (बीई/आरई में) दी गई गारंटियाँ जीडीपी की 0.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही थीं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस वर्ष के लिए जीडीपी के अनुवृत्ती संशोधन पर कथित गारंटियों को अंतिम रूप देते समय विचार नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है। 2011-12 के दौरान गारंटियों में ₹50,773 करोड़ की वृद्धि थी तथा जीडीपी की पुरानी श्रृंखला अर्थात् वर्ष के लिए ₹90,09,722 करोड़ को अपनाने के बाद गारंटियों में जीडीपी की 0.6 प्रतिशत की वृद्धि होती।

निष्कर्ष

वर्ष 2015-16 के दौरान, सरकार बजटीय राजस्व तथा राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्रमशः जीडीपी का 2.8 प्रतिशत तथा 3.9 प्रतिशत प्राप्त करने में सक्षम रही।

वर्ष 2015-16 के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के बजटीय आंकड़ों को अनुवर्ती वर्ष के बजट में संशोधित किया गया था। इसने घाटा संकेतकों के संबंध में किसी वित्तीय लक्ष्य वाली मुख्य अवधारणा को विफल किया। प्रभावी राजस्व घाटे के अनुमानों में असंगति अर्थात् प्रभावी राजस्व घाटे के प्रावधान में परिकलन चूक, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के अनुमान में कमी तथा व्यय की गलत सूचना ने वर्ष के प्रभावी राजस्व घाटे के आंकड़ों पर प्रभाव डाला था।

2015-16 के दौरान, सरकार की देयता जीडीपी का 47.3 प्रतिशत थी। तथापि इस देयता को विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ संग्रहणों में से निवेश, निजी निधि प्रबंधकों के माध्यम से डाकघर बीमा निधि के निवेश तथा एनएसएसएफ के संचालन में संचित घाटे को शामिल न करने के कारण कम बताया गया था। कम बताए जाने को ध्यान में रखते हुए, सरकार की वास्तविक देयता जीडीपी का 52.6 प्रतिशत थी।